



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 1990/आश्विन 5, 1912  
No. 559] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 1990/ASVINA 5, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1990

का.आ. 747 (अ) :—राष्ट्रपति सविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा  
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आर्बटन) नियम, 1961 का और  
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आर्बटन) (दो सौ तेरहवां  
संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(i) “कृषि मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “ग. ग्रामीण विकास विभाग” उपशीर्षक के नीचे,—

(क) प्रविष्टि 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

“8. प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण और पोषाहार कार्यक्रमों के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों का नोडीय उत्तरदायित्व ।

(ख) प्रविष्टि 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“15. ग्रामीण आवास जिसके अंतर्गत ग्रामीण आवास नीति भी है और देश में उससे संबद्ध और आनुषंगिक सभी मामले अथवा ग्रामीण योजना, जहाँ तक वह ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हो ।”,

(ii) “शहरी विकास मंत्रालय” शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“12. आवास नीति और कार्यक्रम का तैयार किया जाना (ग्रामीण आवास को छोड़कर, जिससे ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है) योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन, आवास, निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण, निर्माण लागत हटाने के लिए साधारण उपाय और राष्ट्रीय आवास नीति का नोडीय उत्तरदायित्व ।

रामस्वामी वेंकटरामन,

राष्ट्रपति

[फा.सं. 74/2/1/90-मंत्रि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT  
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 1990

S.O. 747(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further

to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and thirteenth Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(i) under the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)”, under the sub-heading “C. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMEEN VIKAS VIBHAG)”,—

(a) for entry 8, the following entry shall be substituted, namely :—

“8. Nodal responsibility for all matters relating to the Minimum Needs Programme in rural areas in the field of elementary education, adult education, rural health, rural electrification and the nutrition programmes.”;

(b) for entry 15, the following entry shall be substituted, namely :—

“15. Rural housing including Rural Housing Policy and all matters germane and incidental thereto under country or rural planning, in so far as it relates to rural areas.”;

(ii) under the heading “MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)”, for entry 12, the following entry shall be substituted, namely :—

“12. Formulation of housing policy and programme (except rural housing which is assigned to the Department of Rural Development), review of the implementation of the Plan schemes, collection and dissemination of data on housing, building materials and techniques, general measures for reduction of building costs and nodal responsibility for National Housing Policy.”.

R. VENKATARAMAN,  
PRESIDENT

[No. 74|2|1|90-Cab.]

D. DAS GUPTA, Jt. Secy.

